प्ररूप –ग

[नियम 3(2) देखिये]

अनुज्ञा

रा.प्र.क्र 202504128036663C अ–62 / 2024–25 / आदेश दिनांक 24/04/2025

अपील अ
दिनांक
2025

सहायक मण्डल अभियता Asstt. Divil. Engineer
द.पू.मध्य रेलवे, पेण्ड्रारोड, S-E-C Riy.. Pendra Road

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगें वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

–::–

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 08.04.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षक हेतु ज्ञापन दिनांक 08.04.2025 को जारी किया गया। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया । स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार हैः– गिला 04नग साल, 01नग महुआ, 02 नग नीलगिरी, 01 नग भेलवा, संख्या कुल 08 नग वृक्ष हैं।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि खसरा नंबर 22/11, 265/1 रकबा 282180 हे. 8.3270 हे. ग्राम हर्री, लालपुर, प0ह0नं0–08 तहसील पेण्ड्रारोड, स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति 04नग साल, 01नग महुआ, 02 नग नीलगिरी, 01 नग भेलवा, संख्या कुल 08 नग वृक्ष हैं, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नही हो रहा हैं। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती हैं।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (कं0 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम ,2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगा।

24/04/25

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
पेण्ड्रारोड
जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

पृ.क्रमांक क / अ.वि.अ. / री–1 / 2025 पेण्ड्रारोड दिनांक 24/04/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल पेण्ड्रारोड को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार, पेण्ड्रारोड को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
पेण्ड्रारोड
जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

प्राप्त किया
जितेन्द्र
24/4/25

प्ररूप –ग

Scanned with CamScanner